

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2023—भाद्र 10, शक 1945

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 31 अगस्त 2023

क्र. 440-डूडा-2023.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र क्रमांक UDH-12-0006-2023-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 28 अगस्त, 2023 से प्राप्त निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 वर्ष 1961) की धारा 5(1) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए रायसेन जिले की सिलवानी विकासखण्ड की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को बम्होरी नगर परिषद् गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 (सात) दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव, कलेक्टर, जिला रायसेन को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा :-

नगर परिषद्, बम्होरी गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम  
अनुसूची

स.क्र.	जिला	विकासखण्ड	प्रभावित ग्राम पंचायत	सम्मिलित राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रायसेन	सिलवानी	बम्होरी	बम्होरी भैसरा	723.099
3			कुण्डाली	कुण्डाली	694.638
4			दिल्हारी	दिल्हारी	935.892

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरविन्द कुमार दुबे, कलेक्टर

Raisen, the 31<sup>st</sup> August 2023

No. 440-DUDA-2023.—According to the direction received from the Urban Development and Housing Department Madhya Pradesh by the vide letter number UDH-12-0006-2023-XVIII-3, Bhopal, dated 28<sup>th</sup> August 2023 under the Section 5(1) (b) read with the Section 6 of the Madhya Pradesh Municipality Act, 1961 (No. 37 of 1961) In exercise of the powers conferred under this Act the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Silwani block of the Raisen District is initially notified for the formation of Bamhori Nagar Parishad. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained there-in, may within 7 (Seven) days from the date of publication of this notification in Official Gazette give its written objection / suggestion to the District Collector, Raisen. After the time period any objection will not be valid which will be considered by the State Government :—

Revenue villages to be included in the formation of Nagar Parishad Bamhori

## SCHEDULE

S. No.	District	Block	Name of the affected Gram Panchayat	Included Revenue Villages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Raisen	Silwani	Kasba Bamohori	Kasba Bamohori Bhaisara	723.099
3			Kundali	Kundali	694.638
4			Dilhari	Dilhari	935.892

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARVIND KUMAR, DUBEY, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

क्रमांक 188/डूडा/2023

शाजापुर, दिनांक 31 अगस्त 2023

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/UDH-12/0006/2023/18-3 भोपाल दिनांक 28.08.2023 में दिये निर्देशानुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5—(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये शाजापुर जिले अंतर्गत शुजालपुर ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये संकमणशील क्षेत्र ग्राम पंचायत अवन्तिपुर बडोदिया को नगर परिषद गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला शाजापुर को प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

नगर परिषद अवन्तिपुर बडोदिया गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	शाजापुर	शुजालपुर	अवन्तिपुर बडोदिया	अवन्तिपुर बडोदिया	अवन्तिपुर बडोदिया	1005.451
2				अवन्तिपुरा	अवन्तिपुरा	382.286
3					गिगलाखेडी	214.878
4					नेवजखेडी	441.704
5				हन्नुखेडी	देवनखेडी	356.210
6					हन्नुखेडी	529.098
					अमस्याखेडी	371.423
			कुल योग	03	07	3301.05

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
किशोर कन्याल, कलेक्टर

No. 188/DUDA/2023

Shajapur, the 31<sup>st</sup> August 2023

As per the instructions given in the letter number/No.12/0006/2023/18-3 Bhopal dated 28.08.2023 of the Principal Secretary, Madhya Pradesh Government, Ministry of Urban Development and Housing Department, Bhopal, section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Shujalpur block of Shajapur district is initially notified for the formation of Awantipur Badodia Municipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector Shajapur, After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the state government.

Revenue villages to be Included in the formation of Municipal council Awantipur Badodia:-

No.	Distt.	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urvan area	Included villages	Area (in Hect.)
1	Shajapur	Shujalpur	Awantipu Badodia	Awantipur Badodia	Awantipur Badodia	1005.451
2				Awantipura	Awantipura	382.286
3					Giglakhedi	214.878
4					Newaj Khedi	441.704
5					Dewan Khedi	356.210
6					Hannu Khedi	529.098
7				Hannu Khedi	371.423	
						Total

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KISHOR KANYAL, Collector.

क्रमांक 189/डूडा/2023

शाजापुर, दिनांक 31 अगस्त 2023

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/UDH-12/0006/2023/18-3 भोपाल दिनांक 28.08.2023 में दिये निर्देशानुसार म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये शाजापुर जिले की मो.बडोदिया ब्लॉक की सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये संकमणशील क्षेत्र ग्राम पंचायत गुलाना को नगर परिषद गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है, तो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला शाजापुर को प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा।

नगर परिषद गुलाना गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	शाजापुर	मो.बडोदिया	गुलाना	गुलाना	गुलाना	1391.597
2				धतुरिया	धतुरिया	927.350
3					खण्डेरिया	309.290
4					कुडाना	514.120
5					वजीरपुर	121.945
6					दास्ताखेडी	392.235
7					जलोदा	256.710
8					ईमलीखेडा	245.300
9					बाडीगांव	कोहडिया
			कुल योग	06	09	4794.162

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
किशोर कन्याल, कलेक्टर

No. 189/DUDA/2023

Shajapur, the 31<sup>st</sup> August 2023

As per the instructions given in the letter number/No.12/0006/2023/18-3 Bhopal dated 28.08.2023 of the Principal Secretary, Madhya Pradesh Government, Ministry of Urban Development and Housing Department, Bhopal, section 5(1)(a) of the Madhya Pradesh Municipality Act 1961 (No. 37 of 1961). In exercise of the powers conferred under this Act, the transitional area including the local area shown in the following schedule within the limits of Mo.Badodiya block of Shajapur district is initially notified for the formation of GulanaMunicipal Council. The local authority having jurisdiction over the areas shown in the Schedule or any person residing in it, if any object is to be made in respect of any suit contained therein, may, within 07 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, give its written objection/suggestion to the District Collector Shajapur, After the time period, any objection will not be valid, which will be considered by the state government.

Revenue villages to be Included in the formation of Municipal council Gulana:-

No.	Distt.	Block	Name of the dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the formation of urvan area	Included villages	Area (in Hect.)
1	Shajapur	Mo. Badodiya	Gulana	Gulana	Gulana	1391.597
2				Dhaturiya	Dhaturiya	927.350
3					Khanderiya	309.290
4				Kudana	Kudana	514.120
5					Vajirpur	121.945
6				Dasta Khedi	Dasta khedi	392.235
7				Jaloda	Sakat Khedi	256.710
8					Imlikheda	245.300
9				Badigaon	Kohdiya	635.615
			Total	06	07	4794.162

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
KISHOR KANYAL, Collector.